

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 490/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

लवप्रीत सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गगनदीप कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - मृत
- 4/1. हरजीत कौर पत्नी स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/2. राजवीर कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/3. मुखवीर कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/4. वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/5. गुरप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/6. बेअन्त कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4/7. हरविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. बिकर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. बलराज सिंह उर्फ बला सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. जगतार सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से

:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 29.8.2024

वादी लवप्रीत सिंह ने प्रतिवादीगण जोगेन्द्र सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह के नाम से 0.380 है. कृषि भूमि तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 1 जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से 0.696

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.696 है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 0.380 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.379 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 7 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 7 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादी लवप्रीत सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 17/0.253 है., 18/2/0.126 है.  
कुल 0.379 है। कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 18/1/0.127 है., 19/0.253 है.  
कुल 0.380 है। कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 24/3/0.126 है.  
कुल 0.126 है। कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 20/2/0.127 है.  
कुल 0.127 है। कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 20/1/0.126 है.  
कुल 0.126 है। कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 4 जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

114/174 11 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 7/0.253 है.  
कुल 0.506 है। मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 5 बिकर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

लगातार --3

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प.नं. मु.नं. कि.नं.

114/174 11 8,9/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 6 बलराज सिंह उर्फ बला सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 23/1/0.063 है.

कुल 0.063 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 21/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 22/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 7 जगतार सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/175 29 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.

कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 24/2/0.063 है., 23/2/0.127 है.

कुल 0.190 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 23/1/0.063 है., 24/1/0.064 है.

कुल 0.127 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता सं. 121/31, 57/31, 53/31, 56/28, 92/28, 88/31 व 46/31 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 7 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

लगातार --4

महापक रजिस्टर एवं  
उपवाण्ड अधिकारी  
संगरिया

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 सांझा खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह के नाम से 0.380 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 1 जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से 0.696 है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.696 है। कृषि भूमि, इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 0.380 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.379 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 सांझा खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:: क्रियात्मक आदेश ::-**

(क) अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-  
वादी लवप्रीत सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 17/0.253 है., 18/2/0.126 है.  
कुल 0.379 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 18/1/0.127 है., 19/0.253 है.  
कुल 0.380 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 24/3/0.126 है.  
कुल 0.126 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 20/2/0.127 है.  
कुल 0.127 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 20/1/0.126 है.  
कुल 0.126 है. कृषि भूमि

लगातार --5

महामक जजिस्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(अ) प्रतिवादी सं. 4 जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

114/174 11 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 7/0.253 है.

कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 5 बिकर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

114/174 11 8,9/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 6 बलराज सिंह उर्फ बला सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 23/1/0.063 है.

कुल 0.063 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 21/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 22/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 7 जगतार सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/175 29 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.

कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 24/2/0.063 है., 23/2/0.127 है.

कुल 0.190 है. कृषि भूमि

चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 23/1/0.063 है., 24/1/0.064 है.

कुल 0.127 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.126 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 7 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर मृतक रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह का नाम कलमजन किया जावे इसी प्रकार चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह के नाम से 0.380 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर मृतक जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 1 जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार

लगातार --6

उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

काशतकार घोषित कर जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह का नाम कलमजन किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से 0.696 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 को 0.190 है., कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.696 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को 0.063 है. का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 0.380 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.126 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.253 है. खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिग्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिग्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्य रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिग्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्य),  
सगरिया  
मंगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 490/2024

लवप्रीत सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

जागन्द सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - मृत

हरप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

राजवीर कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

मुखवीर कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

गुरप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बेअन्त कौर पुत्री स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

हरविन्द सिंह पुत्र स्व. श्री जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति  
जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

बिकर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

बलराज सिंह उर्फ बला सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

जगतार सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 29.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
यास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन  
जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी लवप्रीत सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
वक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 17/0.253 है., 18/2/0.126 है.

कुल 0.379 है. कृषि भूमि

वक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

- 116/174 9 18/1/0.127 है., 19/0.253 है.  
कुल 0.380 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 24/3/0.126 है.  
कुल 0.126 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 20/2/0.127 है.  
कुल 0.127 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 20/1/0.126 है.  
कुल 0.126 है. कृषि भूमि
- प्रतिवादी सं. 4 जसकरण सिंह उर्फ जस्सा सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख  
निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत  
की कृषि भूमि:-
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 114/174 11 5/1/0.202 है., 5/2/0.051 है., 7/0.253 है.  
कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
- प्रतिवादी सं. 5 बिकर सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 114/174 11 8,9/0.253 है.प्र.  
कुल 0.506 है. कृषि भूमि
- प्रतिवादी सं. 6 बलराज सिंह उर्फ बला सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख  
निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत  
की कृषि भूमि:-
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 23/1/0.063 है.  
कुल 0.063 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 21/0.253 है.  
कुल 0.253 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 22/0.253 है.  
कुल 0.253 है. कृषि भूमि
- प्रतिवादी सं. 7 जगतार सिंह उर्फ इन्द्राज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति जटसिख  
निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत  
की कृषि भूमि:-
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/175 29 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.  
कुल 0.253 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 116/174 9 24/2/0.063 है., 23/2/0.127 है.  
कुल 0.190 है. कृषि भूमि
- चक 17 एम.जे.डी. खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

116/174 9 23/1/0.063 है., 24/1/0.064 है.  
कुल 0.127 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.126 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 7 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक रघुवीर सिंह उर्फ पप्पी सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह का नाम कलमजन किया जावे इसी प्रकार चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 57/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में वादी के स्व. पिता जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह के नाम से 0.380 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक जसकरण सिंह उर्फ रघुवीर सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 53/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में वादी के चाचा प्रतिवादी सं. 1 जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर जगेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह का नाम कलमजन किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 56/28 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 4 के नाम से 0.696 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 7 को 0.190 है., कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 92/28 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 5 के नाम से 0.696 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 को 0.063 है. का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 88/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 0.380 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.127 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा कम किया जावे इसी प्रकार इसी चक 17 एम.जे.डी. के खाता सं. 46/31 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में प्रतिवादी सं. 7 के नाम से 0.379 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.126 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.253 है. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X.....निल .....X..... बाबत् .....X.....  
निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया